सं०सं०–03 / परी०–BTSC–(अधि०)01–27 / 2023...1540...   पटना, दिनांक:–.15/07/2024

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–07 / 2023 से 36 / 2023 (व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों)
(विज्ञापन सं०–15 / 2023, 20 / 2023, 21 / 2023, 25 / 2023, 29 / 2023 एवं 30 / 2023 को छोड़कर)

श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर ITI योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०–07 / 2023 से 36 / 2023 के अन्तर्गत योग्य (Qualified) पाये गये अभ्यर्थियों से आयोग के पत्रांक–1366, दिनांक–20.06.2024 के आलोक में प्राप्त आपत्तियों के निष्पादनोपरांत विज्ञापनवार दिनांक–12.07.2024 से 18.07.2024 तक दो पालियों में दस्तावेज सत्यापन का कार्य बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना में किया जा रहा है।

कतिपय अयोग्य (Disqualified) अभ्यर्थियों द्वारा E-mail/परिवाद पत्र के द्वारा योग्यता से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में संबंधित केवल अयोग्य (Disqualified) अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर देते हुए, उनसे संबंधित **साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक–16.07.2024 से 18.07.2024 को 06:00 PM तक** आयोग के Website पर Login कर अभ्यर्थी, अपना साक्ष्य Upload करने का मौका दिया जाता है।

उक्त के क्रम में केवल अयोग्य (Disqualified) अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं Application No. के साथ आयोग के **Website- www.btsc.bihar.gov.in** अथवा इस लिंक **http://103.75.167.252/ITID/Login.aspx** पर **संबंधित साक्ष्य Upload करने हेतु डाला गया है।**

संबंधित अयोग्य (Disqualified) अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम अयोग्यता का कारण के संबंध में अपना साक्ष्य आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके upload कर सकते हैं।

उक्त Online योग्यता से संबंधित साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई–मेल / निबंधित डाक / कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

1. विज्ञापन के कंडिका–1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक / प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण–पत्र को अमान्य किया गया है।

   अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत संबंधित उद्योग / संस्थान को सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साक्ष्य के रूप में निम्न साक्ष्यों को **मान्य नहीं** किया जायेगा:–

   (i) GST निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जायेगा।

   (ii) Bihar Shop एवं Establishment Act के अन्तर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जायेगा।

   (iii) संवेदक License, Contractor License के अन्तर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जायेगा।

   (iv) अभ्यर्थी के EPFO कटौती के विवरणी को अभ्यर्थी के संस्थान को उद्योग के रूप में सरकार से मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जायेगा।

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

D:\2022\VYAVASAAY ANUDESHAK\For ITI\AAPTI SUCHANA (Before Counselling) Again_1